



2026:AHC:164915

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या - 27451 वर्ष 2026

शान्तनु वंशकर

.....आवेदनकर्ता(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य एवं 3 अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदनकर्ता(गण) के अधिवक्ता : शिव कुमार सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 64

माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा

1. विद्वान एजीए ने बताया कि इस प्रार्थना-पत्र की सूचना विपक्षी संख्या 4/सूचना देने वाले को 18.07.2026 को और विपक्षी संख्या 3/सी.डब्ल्यू.सी. को 18.07.2026 को दिया गया था। विद्वान एजीए द्वारा पेश की गई प्राप्ति की रसीदें अभिलेख पर ले ली गई हैं। हालाँकि, उक्त विपक्षीगणों की ओर से कोई पेश नहीं हुआ और न ही उनकी ओर से कोई प्रति शपथपत्र दाखिल किया गया है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-विपक्षीगणों के लिए विद्वान एजीए श्री नीरज कुमार शर्मा को सुना गया। अभिलेख पर मौजूद सामग्री को देखा गया।

3. यह ज़मानत प्रार्थना-पत्र आपराधिक वाद संख्या 86/2025 (धारा 137(2), 64(2)ड, 115(2), 324(4) बीएनएस और धारा 5/6 पोक्सो अधिनियम, पुलिस थाना- सदर बाज़ार, ज़िला- झाँसी)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



में विचारण के दौरान आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल की गई है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक का नाम प्राथमिकी में नहीं था और उसे इस मामले में झूठा फँसाया गया है। घटना 07.09.2025 को हुई बताई जाती है, जबकि प्राथमिकी 10.09.2025 को दर्ज की गई थी। प्राथमिकी दर्ज करने में देरी अभियोजन पक्ष के मामले के लिए नुकसानदेह है। यह तर्क दिया गया है कि पीड़िता की जन्म तिथि साबित करने के लिए अभिलेख पर कोई शैक्षणिक प्रमाण पत्र नहीं है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, झाँसी की 28.02.2026 की आख्या के अनुसार, पीड़िता की अनुमानित उम्र 22 साल है। आगे यह तर्क दिया गया है कि पीड़िता 23.02.2026 को अपने माता-पिता के घर लौट आई थी। धारा 183 बीएनएसएस के तहत दर्ज अपने बयान में, पीड़िता ने कहा कि वह अपनी मर्जी से घर से निकली थी, आवेदक के घर गई थी और लगभग तीन से चार महीने तक उसके साथ रही थी। आगे यह तर्क दिया गया है कि पीड़िता का व्यवहार यह दर्शाता है कि वह अपनी मर्जी से शामिल थी। इसके अलावा, बीएनएसएस की धारा 180 और 183 के तहत दर्ज पीड़िता के बयानों में विसंगतियाँ हैं। इस चरण पर, आवेदक को अपराध से जोड़ने वाला कोई पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं है। आवेदक 14.03.2026 से जेल में है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यदि उसे ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो वह इस आज़ादी का दुरुपयोग नहीं करेगा।

5. विद्वान एजीए ने ज़मानत की प्रार्थना-पत्र का विरोध किया, लेकिन अभिलेख से ऊपर बताई गई बातों को संतोषजनक ढंग से गलत साबित नहीं कर सके।

6. पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेख देखने के बाद, यह न्यायालय प्रथम दृष्टया पाती है कि आवेदक का नाम प्राथमिकी में नहीं था, जो देर से दर्ज की गई थी। झाँसी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी की 28.02.2026 की आख्या के अनुसार, पीड़िता की अनुमानित आयु 22 वर्ष है। बीएनएसएस की धारा 180 और 183 के तहत दर्ज पीड़िता के बयानों में विसंगतियाँ हैं। इसके अलावा, आवेदक चार महीने से अधिक समय से जेल में है और आरोपपत्र दाखिल होने के बाद भी मुकदमे के जल्द खत्म होने की कोई उम्मीद नहीं है, खासकर तब जब राज्य की ओर से ऐसी कोई उचित आशंका नहीं जताई गई है कि ज़मानत पर रिहा होने पर आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेगा, मुकदमे में देरी करेगा या गवाहों को डराएगा-धमकाएगा; मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक ज़मानत पर रिहा होने का हकदार है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. उक्त आपराधिक मामले में शामिल आवेदक शांतनु वंशकार को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानतदार पेश करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते कि वह:

- (i) विचारण न्यायालय द्वारा तय तारीख पर पेश हो;
- (ii) अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न करे;
- (iii) अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव न डाले।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष को इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्त करने की प्रार्थना-पत्र दाखिल करने की छूट होगी।

(न्यायमूर्ति विवेक वर्मा)

6 अगस्त, 2026

अभिषेक